संख्या-198/2019/1440/41-2019-92यो0/2015 टी0सी0

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई,2019

विषय-जनपद आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग के 11.38 एकड़ भूमि में से 5.9 एकड़ भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण की प्रायोजना हेतु अग्रतर वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-464/6-1-1(514)/2018, दिनांक 30 अप्रैल, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद आगरा में तालमहल के पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग के 11.38 एकड़ भूमि में से 5.9 एकड़ भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण की प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-25/2016/307/41-2015-92यो0/2015 दिनांक 09 मार्च,2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 (यूपीआरएनएन) द्वारा गठित आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 14189.73 लाख (रूपये एक सौ इकतालिस करोड़ नवासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-95/2016/1264/41-2016-92यो0/2015 दिनांक 16 अगस्त,2016 द्वारा रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की द्वितीय किश्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-131/2016/2150/41-2016-92यो0/2015 दिनांक 30 दिसम्बर,2016 द्वारा रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) की तृतीय किश्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-65/2018/1046/41-2018-92यो0/2015 दिनांक 23 मार्च,2018 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-134/2019/1120(1)/41-2019-92 यो0/2015 टी0सी0 दिनांक 26 मार्च,2019 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत की गयी है। इस प्रकार इस परियोजना हेतु अब तक रू0 9100.00 लाख (रूपये इक्यानवे करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. उपर्युक्त् के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना के अग्रतर कार्य को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में छठी किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार कार्य किया गया है तथा प्रस्तर-2 में अंकित शासनादेशों की शर्तों व प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया गया है। प्रश्नगत प्रायोजना के अग्रतर कार्यों में उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि का आहरण बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया जाय। कार्य की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

(10) प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-3 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-29-आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-198/2019/1440(1)/41-2019-92 यो0/2015 टी0सी0 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई-1, आगरा ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।